



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09092026-276077
CG-DL-E-09092026-276077

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4746]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 7, 2026/भाद्र 16, 1948

No. 4746]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 7, 2026/BHADRA 16, 1948

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(एसईजेड अनुभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 सितम्बर, 2026

का.आ. 4936(अ).— यतः, मै. रैकबैंक डेटासेंटर्स प्राइवेट लिमिटेड ने छत्तीसगढ़ राज्य में प्लॉट नंबर सीएफ 7, सेक्टर-22, नवा रायपुर, अटल नगर में सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) (जिसे एतदपश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया था;

और यतः, केन्द्र सरकार ने, विशेष आर्थिक जोन नियमावली, 2006 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ.3219(अ) दिनांक 9 जुलाई, 2025 द्वारा उपर्युक्त विशेष आर्थिक जोन में 2.704051 हेक्टेयर के क्षेत्र को अधिसूचित किया था;

और यतः, मै. रैकबैंक डेटासेंटर्स प्राइवेट लिमिटेड ने अब उक्त विशेष आर्थिक क्षेत्र में 2.708437 हेक्टेयर के अतिरिक्त क्षेत्र को शामिल करने का प्रस्ताव दिया है;

और यतः, विशेष आर्थिक क्षेत्रों के लिए अनुमोदन बोर्ड ने विचार करने के बाद, उक्त विशेष आर्थिक क्षेत्र में 2.708437 हेक्टेयर के अतिरिक्त क्षेत्र को शामिल करने के प्रस्ताव की संस्तुति की है;

अतः अब, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2006 के नियम 8 के अनुसरण में केन्द्र सरकार एतद्वारा उक्त विशेष आर्थिक जोन में 2.708437 हेक्टेयर के क्षेत्र को शामिल करती है, जिसके परिमाणतः विशेष आर्थिक जोन का कुल क्षेत्रफल 5.412488 हेक्टेयर हो जाएगा। अतिरिक्त क्षेत्र हेतु निम्नलिखित तालिका में उल्लेखित सर्वेक्षण संख्या और क्षेत्र शामिल है, अर्थातः-

अतिरिक्त क्षेत्र हेतु तालिका

क्र. सं.	गावं का नाम	खसरा नंबर	अधिसूचित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1.	प्लॉट नंबर सीएफ 7, सेक्टर-22, नवा रायपुर	55	0.02814158
2.		57	0.08931091
3.		227/1, 227/2	0.97735942
4.		247/2	0.78105513
5.		247/3	0.57091863
6.		248	0.00543186
7.		249/1	0.25622049
कुल			2.708437
उपयुक्त जोड़ के पश्चात् एसईजेड का कुल शेष क्षेत्रफल			5.412488

[फा. सं. के-43016/3/2025-एसईजेड]

विमल आनंद, संयुक्त सचिव,

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(SEZ Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd September, 2026

S.O. 4936(E).— Whereas, M/s. Rackbank Datacenters Private Limited, had proposed under section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act) to set up a sector specific Special Economic Zone for Information Technology and Information Technology Enabled Services Special Economic Zone at Plot No.CF7, Sector-22, Nava Raipur, Atal Nagar in the state of Chhattisgarh;

AND, WHEREAS, the Central Government in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Act read with rule 8 of the Special Economic Zones Rules 2006, had notified an area of 2.704051 hectares at the above Special Economic Zone vide Ministry of Commerce and Industry Notification Number S.O. 3219(E) dated 9th July, 2025;

AND, WHEREAS, M/s. Rackbank Datacenters Private Limited, has now proposed for inclusion of additional area of 2.708437 hectares as a part of above Special Economic Zone;

AND, WHEREAS, the Board of Approval for special economic Zones after considering the said proposal has recommended for inclusion of additional area of 2.708437 hectares as a part of above Special Economic Zone;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by second proviso to sub-section (1) of section 4 of the Special Economic Zones Act, 2005 and in pursuance of rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, the Central Government hereby notifies an additional area of 2.708437 hectares, as a part of

above Special Economic Zone, thereby making the total area of the Special Economic Zone as 5.412488 hectares. The survey number and the area for additional area notification given below in the table, namely: -

TABLE FOR DE-NOTIFICATION AREA

Sl. No.	Name of village	Khasra No.	Area to be notified (in Hectares)
1.	Plot No.CF 7, Sector-22, Nava Raipur	55	0.02814158
2.		57	0.08931091
3.		227/1, 227/2	0.97735942
4.		247/2	0.78105513
5.		247/3	0.57091863
6.		248	0.00543186
7.		249/1	0.25622049
	Total		2.708437
Grant total area of SEZ after above addition			5.412488

[F. No. K-43016/3/2025-SEZ]

VIMAL ANAND, Jt. Secy.